## न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–234 / 17

1. लक्ष्मीनारायण दत्तक पुत्र स्व. श्री काना (फौत) जरिये कायम मुकामान्
   1 / 1. गुलाब देवी पत्नी स्व. श्री लक्ष्मीनारायण,
   1 / 2. शंकर लाल पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण, समस्त जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम बीलवा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. भौंरी देवी पत्नी नारायण लाल (फौत) जरिये कायम मुकामान्
   1 / 1. लालचन्द पुत्र नारायण माता भौंरीदेवी,
   1 / 2. बाबूलाल पुत्र नारायण माता भौरीदेवी,
   1 / 3. रमेश पुत्र नारायण माता भौरीदेवी,
   1 / 4. ओमप्रकाश पुत्र नारायण लाल, माता भौरीदेवी समस्त जाति बागड़ा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम मलवा, तहसील चाकसू जिला जयपुर।
   1 / 5. लाली देवी पत्नी श्रवण लाल पुत्री नारायण माता भौरीदेवी निवासी श्रीकृष्णपुरा, तहसील संगानेर जिला जयपुर।
2. प्रभूदयाल पुत्र सुवा लाल जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम बींलवा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. नाथूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण, जति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम बीलवा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर।

अपील सख्याः–92 / 19

1. भौंरी देवी पत्नी नारायण लाल निवासी ग्राम महवा, तहसील चाकसू जिला जयपुर (दौराने अपील फौत)
   1 / 1. लालचन्द पुत्र भौंरीदेवी पत्नी नारायण,
   1 / 2. बाबूलाल पुत्र भौंरीदेवी पत्नी नारायण,
   1 / 3. रमेश पुत्र भौंरीदेवी पत्नी नारायण,
   1 / 4. ओम प्रकाश पुत्र भौंरीदेवी पत्नी नारायण, समस्त जाति बागड़ा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम महवा, तहसील चाकसू जिला जयपुर।
   1 / 5. लाली देवी पत्नी श्रवण पुत्री भौरीदेवी, जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील संगानेर जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण दत्तक स्व. काना, जाति बागड़ा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम बींलवा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर। (दौराने अपील फौत)
   1 / 1. गुलाब देवी पत्नी स्व. श्री लक्ष्मीनारायण,
   1 / 2. शंकर लाल पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण, समस्त जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम बीलवा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. प्रभूदयाल पुत्र सुवा लाल जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम बींलवा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. नाथूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण, जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम बीलवा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. तहसीलदार भू.अ. तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

**अपील सख्या:–93 / 19**

1. लक्ष्मीनारायण फौत,
   1 / 1. गुलाब देवी पत्नी स्व. श्री लक्ष्मीनारायण,
   1 / 2. शंकर लाल पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण, समस्त जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम बीलवा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. भौंरी देवी (फौत)
   1 / 1. लालचन्द पुत्र नारायण लाल,
   1 / 2. रमेश पुत्र नारायण लाल,
   1 / 3. बाबूलाल पुत्र नारायण लाल,
   1 / 4. ओम प्रकाश पुत्र नारायण लाल, समस्त जाति बागड़ा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम मलवा, तहसील चाकसू जिला जयपुर।
   1 / 5. लाली देवी पुत्री नारायण लाल पत्नी श्रवण, जाति बगागड़ा ब्राहाम्ण नि0सी रदीकिशनकपुरा, तहसील संगानेर जिला जयपुर।
2. प्रभूदयाल पुत्र सुआ लाल जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम बीलवा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. नाथूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण, जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम बीलवा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

## निर्णय

**दिनांक: 16.09.2019**

अपीलार्थीगण द्वारा अपील संख्या 234 / 17 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 30.07.2010 के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत एवं अपील संख्या 92 / 19 एव 93 / 19 अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम, जयपुर के आदेश दिनांक 12.03.2013 के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई, चूँकि उक्त तीनों अपीलों में वादग्रस्त आराजी एवं तथ्य एकसमान होने के कारण एवं राजस्व मण्डल राजस्थान के निर्देशानुसार तीनों अपीलों की बहस एक साथ सुनी गई एवं निर्णय भी एक साथ ही पारित किया जा रहा है।

अपीलार्थी लक्ष्मीनारायण के वारिसान के अधिवक्ता ने अपनी अपील संख्या 234 / 17 के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट ने

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

एक अपील तहसीलदार सांगानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2010 व इसके द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 373 दिनांक 16.08.2010 के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम के समक्ष प्रस्तुत की, उक्त अपील प्रस्तुत होने पर ग्राम बीलवा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 568, 569, 572 लगायत 576, 612, 618, 620, लगायत 623/2082, 616 कुल किता 15 कुल रकबा 4.24 हैक्टयर में आधा हिस्से के खातेदार गेखा बेवा काना थी, अपीलार्थी लक्ष्मीनारायण मृतक गेखा का दत्तक पुत्र है श्रीमती गेखा माता अपीलान्ट का देहान्त दिनांक 30.08.2008 को हो गया तथा श्रीमती गेखा की मृत्यु पश्चात् उसकी विरासत के आधार पर सम्वत् 2063 की जमाबन्दी में अपीलार्थी का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज रिकार्ड हो चुका है उसके उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट भौरीदेवी व प्रभूदयाल ने विवादग्रस्त भूमि अपने नाम किये जाने का प्रार्थना पत्र मृतक श्रीमती गेखा देवी को पक्षकार बनाते हुये तहसीलदार सांगानेर के समक्ष दिनांक 23.07.2008 को पेश किया उक्त तहसीलदार के समक्ष लम्बित उक्त प्रकरण में अपीलार्थी लक्ष्मीनारायण को पक्षकर बनाये जाने हेतु अपीलार्थी लक्ष्मीनारायण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–1 नियम 7 दिवानी प्रक्रिया संहिता का दिनांक 05.03.2009 को प्रस्तुत किया जिस पर बाद सुनवाई तहसीलदार ने अपीलार्थी लक्ष्मीनारायण को प्रकरण में पक्षकार बना लिये जाने के आदेश दिनांक 16.07.2009 को किये किन्तु अपीलार्थी लक्ष्मीनारायण को पक्षकार बनाये जाने के पश्चात् अपीलार्थी लक्ष्मीनारायण को किसी भी प्रकार का अपना पक्ष रखने का कोई अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.07.2010 के अनुचित व अवैध रूप से पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अपीलार्थी लक्ष्मीनारायण के वारिसान के अधिवक्ता ने कथन किया है कि अधीनस्थ तहसीलदार ने प्रकरण के विवादित मुद्दो को कतई सही एवं वास्तविक अर्थ में समझे बिना ही एक अनुचित अवैध तथा परवर्स अपीलाधीन निर्णय पारित किया है क्योंकि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अपीलार्थी लक्ष्मीनारायण मृतक गेखादेवी बेवा काना का दत्तक पुत्र है एवं गेखा देवी की मृत्यु पश्चात उसकी विरासत के आधार पर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2063 में अपीलार्थी लक्ष्मीनारायण का नाम खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड हो चुका है जिसे निरस्त कर एवं एकमात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भौरीदेवी के नाम दर्ज किये जाने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार सांगानेर को कतई प्राप्त नही था। उन्होने आगे कथन किया है कि विधि का यह सुस्थापित मत है कि किसी भी व्यक्ति के नाम दर्ज खातेदारी राजस्व रिकार्ड से विलोपित किये जाने या निरस्त किये जाने के अधिकार केवल मात्र सक्षम न्यायालय को ही प्राप्त है एवं राजस्व रिकाड में दर्ज प्रविष्टियों को केवल सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके ही निरस्त कराया जा सकता है जबकि इस सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भौरीदेवी द्वारा सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थन काश्तकारी अधिनियम भौरीदेवी बनाम गेखादेवी व अन्य राजस्व वाद संख्या 150/2004 दिनांक 01.06.2005 को खारिज हो चुका है

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भौरीदेवी ने अपने उक्त प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर द्रर्शित किया है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भौरीदेवी व उसके भाईयों के मध्य राजीनामा होने से अब कोई अनुतोष मांगना नही दर्शित किया है।

अपीलार्थी लक्ष्मीनारायण के वारिसान के अधिवक्ता ने कथन किया है कि तहसीलदार सांगानेर ने अपना अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व विवादग्रस्त भूमि के कब्जे के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई जांच नही की जबकि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि विवादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी ही बहैसियत वारिस दत्तक पुत्र मृतक गेखा खातेदार काश्त काबिज है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी का गोद पुत्र होना गेखा देवी ने सेवाश्रुषा अपीलार्थी लक्ष्मीनारायण द्वारा कराना एवं अपीलार्थी लक्ष्मीनारायण को विवादग्रस्त भूमि पर काबिज होना स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भौरीदेवी ने अपने बयानादि में स्वीकार किया है लेकिन इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू पर भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर द्वारा बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.07.2010 पारित किया है, जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि तहसीलदार ने अपीलार्थी का बिना सुने एवं अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने, अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने जिरह आदि करने का कतई कोई अवसर दिये बिना ही अपीलार्थी लक्ष्मीनारायण की पीठ पीछे अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.07.2010 पारित किया जाने से अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सहज व सामान्य नियमों के विरूद्ध है, यदि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जाता तो यह समस्त तथ्य उनके समक्ष आते जिससे अपीलार्थी अपना पक्ष साबित करता किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना किसी प्रकार का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.07.2010 पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.07.2010 निरस्त फरमाया जावें।

अपीलार्थी लक्ष्मीनारायण के वारिसान के अधिवक्ता अपील संख्या 93/19 के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट लक्ष्मीनारायण सम्वत् 2011 से 2021 की जमाबंदी में ही बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में चला आ रहा है तथा मौके पर कब्जेकाश्त है तथा राजस्व रिकार्ड में बतौर अपीलान्ट का खातेदार काश्तकार नाम दर्ज चला आ रहा है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.03.2013 पारित किया गया उसमें हाल रेस्पोडेन्ट संख्या प्रभूदयाल व नाथूलाल को सुनने की कानूनन कोई भी गुंजाईश नही है जब अपीलान्ट ही उक्त अधीनस्थ न्यायालय व तहसीलदार के निर्णय से पूर्व खातेदार काश्तकार है तो ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण संख्या 383 निरस्त होते ही अपीलान्ट ही बतौर खातेदार काश्तकार का नाम दर्ज होना चाहिये। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर ने इस तथ्य पर

न्यायालय जयपुर
जयपुर

भी गौर नही किया कि अपीलान्ट लक्ष्मीनारायण ही उक्त वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार बरवक्त सेटलमेन्ट से चला आ रहा है तो ऐसी स्थिति में मुसमात गेखा बेवा काना की फौती पर वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार से फौती का नामान्तरकरण अमल दरामद कानूनन नही होना चाहिये, जब गेखा बेवा काना किसी भी प्रकार से खातेदार काश्तकार नही है तो विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक करने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा तहसीलदार का आदेश दिनांक 30.07.2010 निरस्त कर अपीलान्ट लक्ष्मीनारायण के ही नाम खातेदारी दर्ज करने का आदेश कानूनन तहसीलदार सांगानेर को दिया जाना चाहिये था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा इस तथ्य पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2013 पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के निर्णय दिनांक 12.03.2013 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट लक्ष्मीनारायण के नाम ग्राम बींलवा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 568, 569, 572 लगायत 576, 612 618, 620 लगायत 623/2082 616 कुल किता 15 कुल रकबा 4.24 हैक्टयर में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के वारिसान के अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलान्ट लक्ष्मीनारायण की अपीलों के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी भौरीदेवी के पिता काना की कब्जे एवं खातेदारी की भूमी रही है जिसके भौरीदेवी के पिता काना का 1/2 हिस्सा तथा 1/2 हिस्सा सुवा पुत्र बालू का दर्ज रहा है तथा काना की मृत्यु हुऐ करीबन 40–45 वर्ष हो गये है और काना की मृत्यु के पश्चात् भौरीदेवी की माता गेखा बेवा काना एवं लक्ष्मीनारायण का नाम बतौर 1/2 हिस्से में नाम दर्ज कर दिया गया है जबकि काना की वारिस बतौर पुत्री भौरीदेवी है इसलिये भौरीदेवी का काना के हिस्से में गेखा के साथ बराबर–बराबर का हिस्सा है। उन्होने कथन किया है कि भौरीदेवी उक्त आराजीयात पर काबिज है और अपनी माँ के साथ बतौर सह–कृषक उक्त भूमि का फायदा उठाती रही है तथा लक्ष्मीनारायण का नाम जो गलत रूप से बतौर काना के वारिस होने से दर्ज हो गया उसको पूर्व में इसलिये चुनौती नही दी गई कि भौरीदेवी आराजी को अपनी माँ के साथ काश्त कर फायदा उठाती रही है और अपनी माँ की बृद्धावस्था का ध्यान रखकर कभी आपत्ति नही की जबकि भौरीदेवी भी गेखा के साथ बराबर की सह–खातेदार काबिज काश्तकार है लेकिन सुवालाल व लक्ष्मीनारायण ने आपसी साजिश कर भौरीदेवी को उसे जायज हक हकूक से महरूम करने की गरज से और भौरीदेवी की माँ की वृद्धावस्था एवं उसके नाम गलत इन्द्राज होने का नाजायज फायदा उठाने की गरज से भौरीदेवी की माँ को बहला फुसलाकर सम्पूर्ण भूमि को खुर्द बुर्द करने की चेष्ठा की है। उन्होने कथन किया है कि दिनांक 22.07.04 को जब भौरीदेवी

राजस्व मण्डल / अपील आयुक्त जयपुर

P.T.O.

अपने पीहर अपनी भूमि को संभालने आई तो भौरीदेवी की माताजी बसाज अन्य ने भौरीदेवी को भूमि बेचान करने की धमकी देने लगे तथा उसके हकूक से भी इन्कार करने लगे जबकि भौरीदेवी की मॉ को भूमि विवादग्रस्त विरासत में मिली है जिसमें भौरीदेवी का भी पूर्ण अधिकार है ।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के वारिसान के अधिवक्ता ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार काना व गेखा देवी पत्नी काना की भौरीदेवी एकमात्र जायन्दा संतान है जिसका भूमि विवादग्रस्त में भौरीदेवी का जन्म से अधिकार निहित है, जबकि गेखादेवी ने कभी किसी को गोद नही लिया है तथा लक्ष्मीनारायण वादग्रस्त आराजी के खातेदार का काना का दत्तक पुत्र नही है इसके लिये पक्षकारान के मध्य सक्षम सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है जिसमें अभी तक लक्ष्मीनारायण को वादग्रस्त आराजी के खातेदार काना का दत्तक पुत्र ही नही माना है तो ऐसी स्थिति वह लक्ष्मीनारायण वादग्रस्त आराजी के खातेदार की विरासत में किसी प्रकार के कोई हक, हकूक हांसिल करने का अधिकारी नही है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के वारिसान के अधिवक्ता ने दोराने बहस कथन किया है कि उक्त भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में प्रभूदयाल शर्मा पुत्र सूवालाल, नाथूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी ग्राम बींलवा ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम बींलवा की निवासी खातेदार मु. गेखा पत्नी काना ने दिनांक 07.11.1991 को एक रजिस्टर्ड दानपत्र, प्रभूदयाल पुत्र सूवालाल, नाथूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण के हक में कर दिया इसलिये इसका नामान्तरकरण हमारे नाम खोला जाये, उक्त प्रार्थना पत्र को तहसीलदार सांगानेर ने धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकरान को नोटिस जारी किये गये, इस प्रकरण में लक्ष्मीनारायण स्वकथित दत्तक पुत्र काना ने पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे भी तहसीलदार ने पक्षकार बना लिया, उक्त प्रकरण में बाद जॉच तहसीलदार ने अपनी आज्ञा दिनांक 30.07.010 को पारित करते हुये प्रभू दयाल व नाथूलाल का प्रार्थना खारिज कर दिया और गेखा पत्नी काना की एकमात्र पुत्री भौरीदेवी के नाम विरासत का इन्द्राज करने के आदेश दिये है, जो उचित है तथा उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 383 दिनांक 16.08.2010 को तस्दीक कर दिया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी लक्ष्मीनारायण द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 234/17 खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के वारिसान के अधिवक्ता ने कथन किया है कि तहसीलदार सांगानेर के आदेश दिनांक 30.07.2010 जो कि धारा 135(2) में वर्णित आदेश था, के विरूद्ध अपील लक्ष्मीनारायण ने न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की तथा नामान्तरकरण संख्या 383 दिनांक 16.08.10 के विरूद्ध लक्ष्मीनारायण ने एक अपील जिला कल्क्टर के समक्ष प्रस्तुत की जो स्थानान्तरण के बाद अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के यहॉ हस्तान्तरित हो गई, उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या की माताजी ने प्रारम्भिक

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

आपत्ति प्रस्तुत की कि नामान्तरकरण संख्या 383 दिनांक 16.08.10 तहसीलदार सांगानेर की आज्ञा दिनांक 30.07.10 की पालना में खोला गया है तथा आदेश दिनांक 30.07.2010 के विरूद्ध अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष विचाराधीन है ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय को नही है जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा दिनांक 18.0.2013 को प्रारम्भिक आपत्ति पर बहस सुनी और और दिनांक 12.03.013 को प्रारम्भिक आपत्ति के साथ–साथ गुणावगुण पर निर्णय कर दिया और अपील मंजूर कर उसे तहसीलदार सांगानेर को पुनः रिमाण्ड किया गया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर को नामान्तरकरण संख्या 383 के विरूद्ध अपील सुनने का कोई क्षेत्राधिकर नही था क्योंकि नामान्तरकरण जिस आदेश की पालना में खोला गया था वह आदेश विवादित है और उसकी अपील भी लक्ष्मीनारायण ने न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रखी है, ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण संख्या 383 भी विवादित नामान्तरकरण था और इस विवादित नामान्तरकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार निदेशक भू अभिलेख (न्यायालय श्रीमान्) को ही था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम ने बिना किसी आधार व कारण अंकित किये भौरी देवी की प्रारम्भिक आपत्ति को निरस्त करने में न केवल कानूनी गलती की है बल्कि अपने क्षेत्राधिकर के बाहर जाकर निर्णय पारित किया है। उन्होने आगे कथन किया है कि न्यायालय श्रीमान् के समक्ष मूल आदेश के विरूद्ध विचाराधीन अपील में निर्णय होने से पूर्व ही नामान्तरकरण को निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम ने भारी कानूनी गलती की है और अप्रत्यक्ष रूप से पक्षपात पूर्ण निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.013 खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार सांगानेर के पारित आदेश दिनांक 30.07.2010 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 383 दिनांक 16.08.2010 को स्वीकार किया गया है चूँकि उक्त प्रकरण तहसीलदार सांगानेर के समक्ष विवादित रहा है तथा तहसीलदार सागानेर द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के तहत आदेश दिनांक 30.07.2010 पारित किया गया है जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 383 दिनांक 16.08.2010 स्वीकार किया गया है जिसके विरूद्ध अपील की सुनवाई के अधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त है उसके उपरान्त भी बिना क्षेत्राधिकार के अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 383 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील पर सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2013 पारित किया गया है, जो क्षेत्राधिकार विहिन आदेश की श्रेणी में आता है जिसे कानूनन उचित नही ठहराया जा सकता है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पत्रावली के सलंग्न वर्ष 1973 की लगान रसीद संख्या 446, दी जयपुर सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक के नोटिस दिनांक 11.03.1984, बींलवा ग्रामीण बहु उद्देश्य सहकारी समिति लि. की पासबुक नम्बर 74 एवं उसकी रसीदे संख्या 4724 दिनांक 19.11.74, 4175 दिनांक 09.12.1974, राशन कार्ड वर्ष 1999–2001, मतदाता सूची 2009 इत्यादि में अपीलान्ट लक्ष्मीनारायण के पिता का नाम कानाराम दर्ज है तथा रेस्पोडेन्ट भौरीदेवी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष दिये गये बयानादि में भी अपीलान्ट लक्ष्मीनारायण को गोद लिया तब वह छोटी होना एवं लक्ष्मीनारायण के अलावा किसी अन्य को गोद नही लिया बयान दिया है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में भी गेखा बेवा काना का वारिस अपीलान्ट लक्ष्मीनारायण अंकित है, तथा भौरीदेवी द्वारा सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत घोषणा का नियमित दावा भी खारिज हो चुका है ऐसी स्थिति में उपरोक्त सभी तथ्यों के मद्देनजर अपीलान्ट लक्ष्मीनारायण की दोनों अपीले स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट लक्ष्मीनारायण की दोनों अपीले स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2013 एवं तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.07.2010 एवं नामान्तरकरण संख्या 383 दिनांक 16.08.2010 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी का नामानतरकरण अपीलान्ट लक्ष्मीनारायण के वारिसान के नाम स्वीकार किया जावें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।